

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12246

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

कैलाश कुमार वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा धिवरा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12247

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12248

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

राजेश कुमार वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा घिवरा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12249

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12250

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

सेवती ठाकुर, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा घिवरा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



19/08/23
जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12251

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


19/08/23
जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12252

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

अमरौतिन बांधे, प्रधान पाठक
प्रा.शा. केवाराडीह
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12253

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12254

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

पुष्पलता जांगड़े, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. केवाराडीह
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं । इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है । विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है । आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है ।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है । इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12255

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12256

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

मनीषा बंजारे, प्रधान पाठक
प्रा.शा.मादाडीह
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12257

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12258

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

आलोक बघेल, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.मादाडीह
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12259

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12260

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

प्रकाश खुंटे, प्रधान पाठक
प्रा.शा.खपरीडीह
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12261

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12262

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

अमीना बघेल, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. भेजरीडीह
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12263

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12264

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

मनीष वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. बरडीह
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12265

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12266

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

कलावती ध्रुव,सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. सिरी
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12267

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12268

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

पूर्णिमा निषाद,सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. सिरी
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12269

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12270

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

रेखा देवागंन, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. सिरी
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12271

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12272

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

संजय बंछोर, शिक्षक
पू.मा.शा. बरडीह
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12273

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12274

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

मेनका वर्मा, शिक्षक
पू.मा.शा. घिवरा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12275

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12276

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

खेलावन यादव, शिक्षक
पू.मा.शा. घिवरा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12277

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12278

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

नीलम सोनवान,सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. बरतोरी(को)
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12279

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12280

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

ज्योति वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. बरतौरी(को)
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



19/08/23
जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12281

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


19/08/23
जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12282

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

कमल सिंह मंडावी, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.देवगांव
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12283

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12284

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

भुनेश्वर प्रसाद वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.देवगांव
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं । इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है । विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है । आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है ।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है । इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12285

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12286

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

पूर्णिमा सोनवान,सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.खौना
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12287

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12288

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

मीनाक्षी ठाकुर, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.खौना
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12289

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12290

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

मथुरा ध्रुव,सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.खौना
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12291

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12292

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

भीखम साहू सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.तरपोंगी
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं । इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है । विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है । आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है ।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है । इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12293

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12294

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

सीमा टिकरिहा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.नवीन तरपोंगी
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं । इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है । विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है । आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है ।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है । इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12295

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12296

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

सोमलता परगनिहा,सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.नवीन तरपोंगी
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12297

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12298

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

कौशल वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.मोहदा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12299

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12300

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

हेमलता साहू, प्रधान पाठक
प्रा.शा.मोहदा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12301

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12302

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

शोभा ध्रुव,सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.मोहदा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12303

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12304

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

प्रमिला शर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.मोहदा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12305

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12306

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

विक्रम ध्रुव, प्रधान पाठक
प्रा.शा. सडडू
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12307

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12308

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

लक्ष्मी वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. सड्डू
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12309

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12310

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

गोरखनाथ वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. सड़डू
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं । इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है । विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है । आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है ।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है । इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12311

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12312

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

चन्द्ररेखा सोनवानी, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. महामायापारा सड़डू
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं । इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है । विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है । आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है ।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है । इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



19/08/23
जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12313

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


19/08/23
जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12314

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

विभा दास, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. महामायापारा सड़डू
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं । इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है । विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है । आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है ।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है । इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12315

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12316

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

नरेन्द्र साहू, शिक्षक
पू.मा.शा. आलेसुर
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12317

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12318

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

कांत कुमार कन्नौजे, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.पचरी
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12319

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12320

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

शोभारानी नारंग,सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.पचरी
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12321

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12322

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

सविता कोशले,सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.पचरी
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12323

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12324

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

स्वीटी देवागंन,सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.पचरी
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12325

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12326

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

मनीराम वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. कुम्हारी
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



19/08/23
जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12327

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


19/08/23
जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12328

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

संजय कुमार सायतोड़े, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. कुम्हारी
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं । इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है । विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है । आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है ।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है । इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12329

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12330

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

अश्वनी कुमार मण्डलेश्वर,सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. कुम्हारी
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12331

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12332

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

हेमलाल नेताम, प्रधान पाठक
प्रा.शा. आलेसुर
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12333

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12334

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

जितेन्द्र नेताम, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. आलेसुर
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12335

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12336

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

देवप्रसाद ध्रुव,सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.छड़िया
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12337

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12338

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

शोभा पठारे, प्रधान पाठक
प्रा.शा.छड़िया
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12339

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12340

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

सुनीता जंघेल,सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.छड़िया
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12341

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12342

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

विनोद कुमार देवागंन,सहा.शि.(एल.बी.)
पा.शा. मधईपुर
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12343

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12344

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

संजीता भगत,सहा.शि.(एल.बी.)
पा.शा. मधईपुर
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12345

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12346

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

बोहित ध्रुव,सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. किरना
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12347

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12348

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

अनिता वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. किरना
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12349

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12350

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

दुर्गा साहू,सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. किरना
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12351

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12352

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

गिरवर सोनी, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. किरना
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12353

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12354

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

देवेन्द्र वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. किरना
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12355

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12356

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

यादव प्रसाद वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.हथबंद
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं । इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है । विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है । आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है ।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है । इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12357

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12358

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

दिलीप वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.हथबंद
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12359

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12360

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

सुबेसिंह ध्रुव, प्रधान पाठक
प्रा.शा.मूरा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12361

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12362

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

कृष्ण कुमार वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.मूरा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12363

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12364

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

राजकुमार श्रेय,सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.मूरा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12365

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12366

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

रामनारायण साहू सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.मूरा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12367

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12368

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

खेमिन ध्रुव,सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.मूरा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12369

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12370

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

तुलेश ध्रुव,सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.नवीन मूरा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12371

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12372

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

हेमंत वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.नवीन मूरा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12373

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12374

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

मोहन खरे, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. निनवा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12375

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12376

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

भुनेश्वरी दीक्षित, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. निनवा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12377

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12378

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

हेमंत कुमार वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. सिलपट्टी
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं । इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है । विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है । आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है ।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है । इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12379

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12380

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

अनुप मिंज, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. सिलपट्टी
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12381

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12382

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

विनोद कुमार संतवानी, सहा.शि.(एल.बी.)
उ.मा.वि.सरोरा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12383

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12384

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

संतोषी सोनवानी, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.सरोरा भाटापारा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12385

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12386

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

सूर्य प्रकाश वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.सरोरा भाटापारा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12387

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12388

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

ललित ध्रुव,सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.सरोरा भाटापारा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12389

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12390

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

पीलाराम ध्रुव, प्रधान पाठक
प्रा.शा.बुंदेली
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12391

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12392

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

शेषनारायण निषाद,सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.बुंदेली
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12393

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12394

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

पुष्पा नायक, प्रधान पाठक
प्रा.शा. परसदा(जो)
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12395

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12396

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

संतोषी यादव, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.सरोरा गोसदन
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12397

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12398

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

भारती ध्रुव,सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.सरोरा गोसदन
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12399

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12400

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

टिकेश्वर ध्रुव, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.सरोरा गोसदन
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12401

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12402

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

भुनेश्वरी यदु, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.सरोरा कं.1
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12403

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12404

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

गीता ध्रुव,सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.सरोरा कं.1
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12405

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12406

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

सरिता वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.सरोरा कं.1
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12407

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12408

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

हेमन्त नेताम,सहा.शि.(एल.बी.)
उ.मा.वि.सरोरा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12409

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12410

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

सुरेन्द्र वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.सरोरा गोसदन
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12411

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12412

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

भारती वर्मा, प्रधान पाठक
प्रा.शा.रावणभाठा केशला
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं । इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है । विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है । आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है ।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है । इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12413

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12414

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

मंजूला पुरेना, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.रावणभाठा केशला
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12415

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12416

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

पवाराबाई नरवास,सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.रावणभाठा केशला
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12417

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12418

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

योगिनी ध्रुव,सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.रावणभाठा केशला
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12419

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12420

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

लता देवागंन, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. केशला
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं । इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है । विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है । आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है ।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है । इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12421

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12422

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

किरण वर्मा,सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. केशला
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12423

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12424

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

अरुणा वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. केशला
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12425

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12426

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

गणेश्वरी नवरंगे, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. केशला
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12427

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12428

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

अंजनी गिलहरे, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. केशला
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12429

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12430

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

प्रियंका सिदार,सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. केशला
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12431

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12432

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

मीना गायकवाड़, प्रधान पाठक
प्रा.शा. नवागांव
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं । इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है । विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है । आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है ।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है । इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12433

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12434

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

गजेन्द्र देवागंन,सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. नवागांव
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12435

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12436

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

दीपक वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. नवागांव
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12437

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12438

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

कुंती वर्मा,सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. नवागांव
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



19/08/23
जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12439

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


19/08/23
जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12440

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

दिव्यगुलाब लकड़ा,सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. नवागांव
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12441

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12442

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

नीलम एक्का, प्रधान पाठक
प्रा.शा खरोरा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12443

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12444

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

गिरीश यादव, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा खरोरा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12445

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12446

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

मंदाकिनी चन्द्राकर, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा खरोरा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12447

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12448

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

डोमनलाल साहू, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा खरोरा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं । इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है । विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है । आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है ।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है । इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12449

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12450

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

नारायण प्रसाद देवागंन, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. नायकटाड
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आव्हान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं । इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है । विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है । आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है ।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है । इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12451

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12452

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

रामेश्वर ध्रुव,सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. नायकटाड
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12453

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12454

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

भेनूमति वर्मा, प्रधान पाठक
प्रा.शा. अडसेना
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12455

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12456

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

राजेश तिग्गा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. अडसेना
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आव्हान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12457

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12458

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

सुनीता वर्मा, प्रधान पाठक
प्रा.शा.नवीन अडसेना
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12459

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12460

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

अनिता वर्मा, प्रधान पाठक
प्रा.शा. भुलनडबरी अड़सेना
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12461

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12462

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

ममता वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. भुलनडबरी अड़सेना
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12463

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12464

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

रमेश कुमार वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. भुलनडबरी अड़सेना
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आव्हान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं । इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है । विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है । आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है ।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है । इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12465

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12466

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

आलोक टिकरिहा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. बरौण्डा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं । इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है । विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है । आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है ।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है । इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12467

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12468

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

बीना श्रेय,सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. बरौण्डा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12469

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12470

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

ओमप्रकाश वर्मा, प्रधान पाठक
प्रा.शा सिरवे
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12471

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12472

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

भारती वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा सिरवे
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12473

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12474

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

वेदकुमारी वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा सिरवे
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12475

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12476

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

अनिल कुमार पटेल, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. बरतौरी(सि)
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12477

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12478

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

वर्तिका वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.बहेसर
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



19/08/23
जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12479

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


19/08/23
जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12480

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

उमेश कुमार साहू, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. कोहका
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12481

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12482

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

अजीत कुमार वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. टोहड़ा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12483

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12484

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

डोमार सिंह वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. टोहड़ा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आव्हान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12485

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12486

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

कमला वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. टोहड़ा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12487

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12488

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

विद्या वर्मा,सहा.शि.(एल.बी.)
उ.मा.वि. टोहड़ा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12489

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12490

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

विकांत पैकरा,सहा.शि.(एल.बी.)
उ.मा.वि. टोहड़ा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12491

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12492

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

मनोज कुमार वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. सरारीडीह
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12493

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12494

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

तेलेश्वरी वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. सरारीडीह
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12495

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12496

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

चमेली वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. सरारीडीह
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12497

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12498

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

सेवकराम ध्रुव,सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.भिलौनी
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12499

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12500

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

जयवीर भारद्वाज, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.भिलौनी
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12501

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12502

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

रमेश कुमार वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. परसदा(मा.)
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12503

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12504

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

योगेश कुमार वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.छछानपहरी
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं । इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है । विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है । आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है ।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है । इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12505

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12506

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

शैलेन्द्री कुर्रे, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.खपरीकला
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं । इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है । विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है । आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है ।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है । इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12507

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12508

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

ईश्वर प्रसाद कौशिक, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.खपरीकला
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12509

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12510

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

महेन्द्र कुमार वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.खपरीकला
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12511

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12512

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

हिमांचल चौबे, शिक्षक
प्रा.शा.खपरीकला
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं । इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है । विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है । आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है ।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है । इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12513

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12514

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

सेवकराम साहू, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.भड़हा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं । इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है । विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है । आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है ।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है । इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12515

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12516

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

डैलेश्वर साहू, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.भड़हा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12517

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12518

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

भरतलाल साहु,सहा.शि.(एल.बी.)
पू.मा.शा.भड़हा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं । इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है । विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है । आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है ।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है । इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12519

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12520

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

लक्ष्मी वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. बेलटुकरी
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12521

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12522

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

पदमनी साहू, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. बेलटुकरी
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12523

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12524

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

जीवनलाल कुर्रे,सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. बेलटुकरी
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आव्हान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12525

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12526

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

राकेश कुमार शर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. सुंदरा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12527

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12528

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

सुरेश कुमार रात्रे, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.बुड़गहन
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं । इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है । विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है । आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है ।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है । इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12529

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12530

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

शिवानी वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. मांट
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं । इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है । विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है । आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है ।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है । इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12531

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12532

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

बसुन्धरा साहू, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. मांट
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं । इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है । विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है । आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है ।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है । इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12533

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12534

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

मंजू देवागंन,सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. मांट
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12535

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12536

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

यामिन वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. मांट
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12537

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12538

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

वीर कुमार वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.नवीन मांड
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आव्हान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं । इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है । विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है । आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है ।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है । इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12539

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12540

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

मौसमी घोघरे,सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.नवीन मांड
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12541

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12542

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

उर्मिला जोशी,सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.नवीन मांड
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12543

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12544

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

अश्वनी दक्षिणे, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.नवीन तिल्दाडीह
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं । इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है । विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है । आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है ।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है । इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12545

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12546

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

चन्द्रप्रकाश सिंह, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.नवीन तिल्दाडीह
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12547

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12548

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

प्रभाकर गांगुली, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. बेल्दारसिवनी
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12549

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12550

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

रिजवां कुरैशी, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. बेल्दारसिवनी
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12551

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12552

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

ओमप्रकाश वर्मा, प्रधान पाठक
प्रा.शा. नवीन बेल्लारसिवनी
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12553

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12554

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

दुष्यंत कुमार वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. नवीन बेलदारसिवनी
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



19/08/23
जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12555

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


19/08/23
जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12556

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

राजेश कुमार पाल, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. नवीन बेलदारसिवनी
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12557

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12558

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

लता सोनवानी, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.बुढ़ेनी
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं । इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है । विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है । आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है ।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है । इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12559

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12560

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

सनत कुमार दीवान, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.बुढ़ेनी
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12561

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12562

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

ममता माण्डले, प्रधान पाठक
प्रा.शा.तिल्दाकैम्प
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12563

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12564

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

संजय कुमार वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. बासंटाल तिल्दा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं । इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है । विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है । आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है ।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है । इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12565

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12566

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

उमा निषाद, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. बासंटाल तिल्दा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12567

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12568

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

अजय सिंह कंवर, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. वार्ड क्रं. 6
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं । इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है । विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है । आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है ।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है । इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12569

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12570

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

पूर्णानंद वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. वार्ड कं. 6
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12571

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12572

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

रामकुमार जांगड़े, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.गौरखेड़ा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं । इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है । विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है । आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है ।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है । इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12573

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12574

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

शिव कुमार वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.ताराशिव
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12575

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12576

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

सरिता वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.ताराशिव
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12577

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12578

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

चित्ररेखा वर्मा,सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.कोनारी
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12579

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12580

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

चन्द्रशेखर वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.कोनारी
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं । इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है । विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है । आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है ।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है । इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12581

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12582

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

गंगोत्री साहू, प्रधान पाठक
प्रा.शा.मोहरेंगा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12583

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12584

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

सविता वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.मोहरेंगा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12585

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12586

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

सावित्री यादव, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.मोहरेंगा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12587

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12588

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

ज्योति वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. भरुवाडीहकला
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12589

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12590

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

परदेशी राम वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. भरुवाडीहकला
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12591

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12592

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

राजेन्द्र कुमार वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. नवीन मोहरेंगा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं । इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है । विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है । आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है ।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है । इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12593

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12594

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

लखेश्वर वर्मा, शिक्षक
पू.मा.शा.बुडेशा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12595

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12596

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

महेन्द्र साहू, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. बुड़ेरा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12597

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12598

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

ठाकुरराम,सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. बुड़ेरा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12599

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12600

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

ममता चन्द्राकर, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. बुड़ेरा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12601

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12602

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

हिरौदी साहू, प्रधान पाठक
प्रा.शा.फरहदा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12603

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12604

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

सरिता वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.कनकी
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12605

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12606

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

सचिन देव वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.कनकी
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12607

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12608

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

कंचन टंडन, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.कनकी
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12609

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12610

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

जयप्रकाश ध्रुव, प्रधान पाठक
प्रा.शा.परसदा(क)
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12611

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12612

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

रामेश्वर रातड़े, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.परसदा(क)
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं । इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है । विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है । आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है ।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है । इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12613

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12614

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

त्रिलोकीनाथ साहू, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.परसदा(क)
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं । इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है । विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है । आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है ।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है । इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12615

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12616

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

हेमनाथ निषाद,सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.मोतिमपुरखुर्द
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12617

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12618

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

हरीश कुमार जांगड़े, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.मोतिमपुरखुर्द
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं । इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है । विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है । आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है ।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है । इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12619

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12620

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

दुर्गेश्वरी वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्र.शा.पाड़ाभाट
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12621

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12622

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

राजेश टंडन, सहा.शि.(एल.बी.)
प्र.शा.पाडाभाट
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12623

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12624

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

प्रभा बंजारे, प्रधान पाठक
प्रा.शा. मोतिमपुरकला
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12625

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12626

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

जितेन्द्र कुमार साहू, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. मोतिमपुरकला
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12627

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12628

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

संगीता वर्मा, प्रधान पाठक
प्रा.शा. सोनभट्टा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12629

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12630

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

नंदा साहू, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. बिठिया
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



19/08/23
जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12631

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


19/08/23
जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12632

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

कृष्ण कुमार शर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. बिठिया
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12633

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12634

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

पुष्पा शर्मा(मिश्रा),सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.बैकुण्ठ
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12635

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12636

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

कमलनारायण वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
उ.मा.वि. देवरी
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12637

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12638

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

स्वाती शर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
उ.मा.वि. देवरी
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12639

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12640

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

राजकुमार कमल, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. छपोरा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं । इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है । विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है । आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है ।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है । इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12641

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12642

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

उमा कमल,सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. छपोरा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12643

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12644

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

विलियम तिग्गा,सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. कोटा क्रं. 1
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12645

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12646

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

मिनीक्षी सिरमौर,सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. कोटा क्रं. 1
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12647

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12648

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

मंजू सेन, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. कोटा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12649

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12650

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

मनीषा वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. कोटा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12651

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12652

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

मंजू वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. खैरखुंट
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं । इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है । विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है । आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है ।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है । इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12653

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12654

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

नीलिमा जायसवाल, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.सुंगेरा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12655

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12656

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

बरसाती लाल ध्रुव, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.सुंगेरा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12657

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12658

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

रुपा वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. तुलसी मानपुर
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12659

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12660

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

दिलीप ध्रुव,सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.सरफोंगा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12661

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12662

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

पूनेलाल लहरे,सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.सरफोंगा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12663

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12664

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

महेन्द्र कुमार वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.अल्दा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12665

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12666

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

पूर्णिमा सेन, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.अल्दा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12667

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12668

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

रविशंकर मिरी, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.विश्रामपुर
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12669

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12670

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

विजेता ध्रुव,सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.मानपुर
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12671

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12672

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

चन्द्रकला वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.रायखेड़ा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12673

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12674

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

ममता वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.रायखेड़ा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



19/08/23
जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12675

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


19/08/23
जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12676

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

सुषमा चन्दवंशी, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.रायखेड़ा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12677

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12678

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

तुलसीराम साहू, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.रायखेड़ा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं । इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है । विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है । आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है ।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है । इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12679

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12680

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

दिलीप कुमार वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. भाटापारा रायखेड़ा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं । इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है । विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है । आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है ।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है । इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12681

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12682

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

ओमप्रकाश वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. भाटापारा रायखेड़ा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं । इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है । विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है । आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है ।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है । इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12683

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12684

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

यशोदा ध्रुव,सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.गैतरा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12685

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12686

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

टकेश्वर प्रसाद वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.गैतरा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12687

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12688

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

देवेन्द्र कुमार वर्मा, शिक्षक
प्रा.शा.गैतरा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12689

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12690

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

दिनेश्वरी वर्मा,सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.कुन्दरु
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12691

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12692

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

सीमा कौशल, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.कुन्दरु
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12693

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12694

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

रामकुमार साहू, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.कुन्दरु
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं । इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है । विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है । आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है ।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है । इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12695

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12696

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

धर्मेन्द्र वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.कुन्दरु
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12697

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12698

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

अरुण कुमार वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.कुन्दरु
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12699

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12700

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

उगेश्वर कुमार ध्रुव,सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.पु.ब.नेवरा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12701

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12702

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

पूनम वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. तुलसी नेवरा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12703

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12704

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

कनी जेना, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. तुलसी नेवरा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12705

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12706

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

मिथलेश बंजारे, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. तुलसी नेवरा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं । इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है । विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है । आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है ।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है । इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12707

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12708

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

किरण मढ़रिया, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. तुलसी नेवरा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं । इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है । विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है । आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है ।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है । इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12709

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12710

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

राजेश्वरी सिन्हा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. तुलसी नेवरा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं । इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है । विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है । आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है ।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है । इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



19/08/23
जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12711

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


19/08/23
जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12712

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

नाजमा अली, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. नवीन तुलसी नेवरा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12713

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12714

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

निर्मला वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. भूमिया
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12715

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12716

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

विश्वनाथ साहू, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. भूमिया
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं । इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है । विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है । आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है ।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है । इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12717

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12718

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

गायत्री वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. बेमता
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12719

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12720

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

सुनीता वैष्णव,सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. बेमता
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12721

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12722

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

इंदु वैद्य,सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. बेमता
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12723

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12724

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

धनेश्वरी मढ़रिया, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. बेमता
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं । इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है । विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है । आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है ।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है । इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12725

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12726

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

संजय कुमार वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. लखना
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12727

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12728

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

सुधा साहू, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. लखना
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



19/08/23
जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12729

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


19/08/23
जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12730

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

एन. पुष्पा,सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. लखना
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12731

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12732

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

खुमान वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. सांकरा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12733

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12734

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

चन्द्रशेखर साहू, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. सांकरा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12735

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12736

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

रुपचंद बघेल, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. सांकरा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12737

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12738

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

देवदास वैष्णव, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. बेमता
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12739

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12740

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

ऋषि कुमार वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. लखना
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं । इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है । विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है । आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है ।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है । इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12741

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12742

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

ज्ञानेश्वरी साहू सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.मढी
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं । इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है । विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है । आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है ।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है । इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12743

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12744

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

सुंती चेलक, प्रधान पाठक
प्रा.शा.मढी
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12745

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12746

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

गीता रघुवंशी, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.मढी
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12747

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12748

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

सुनीत साहू, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.मढी
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12749

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12750

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

राकेश नवरंगे, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.मढी
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12751

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12752

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

श्वेता चन्द्रवंशी, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.मढी
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं । इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है । विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है । आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है ।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है । इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12753

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12754

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

सीमा वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.जंजगीरा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12755

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12756

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

अशोक कुमार चेलक, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.जंजगीरा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12757

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12758

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

मोतीराम साहू, सहा.शि.(एल.बी.)
प्र.शा.कोदवा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं । इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है । विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है । आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है ।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है । इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12759

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12760

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

तुलेन्द्र कुमार धीवर, सहा.शि.(एल.बी.)
उ.मा.वि.मढ़ी
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12761

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12762

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

योगेश कुमार साहू सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.सोनतरा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आव्हान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं । इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है । विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है । आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है ।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है । इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12763

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12764

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

मंजू वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.सोनतरा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12765

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12766

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

विनय चन्द्रवंशी, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.सोनतरा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12767

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12768

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

अरुण कुमार कुर्रे, सहा.शि.(एल.बी.)
हाई स्कूल सोनतरा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आव्हान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12769

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12770

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

प्रतिमा वर्मा,सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.बंगोली
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12771

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12772

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

नीतु देवागंन, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.बंगोली
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12773

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12774

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

दुर्गा साहू,सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.बंगोली
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12775

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12776

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

शशिकला जोशी,सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा.बंगोली
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12777

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12778

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

छाया वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. कुर्रा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12779

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12780

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

रूपेन्द्र कुमार वर्मा, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. कुरा
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12781

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12782

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

मेघा फेंकलीन, सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. धनसुली
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं । इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है । विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है । आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है ।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है । इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12783

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12784

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

कारण बताओ सूचना

प्रति,

गायत्री करसाल,सहा.शि.(एल.बी.)
प्रा.शा. धनसुली
वि.खं.-तिल्दा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय - सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र ।


—00—

प्रदेश के सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक (एल.बी.) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं । इसमें आप भी अनाधिकृत रूप से शामिल रहे हैं। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है एवं अध्ययनरत बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिका का परियच देती है।

आपके उक्त कृत्य से शाला में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा है, जिससे समग्र रूप से भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा राज्य को प्रदान रैंकिंग भी प्रभावित हुई है तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता, पालकों तथा नागरिक समाज में गहरा आक्रोश परिलक्षित हुआ है। इस प्रकार आपने अपने कृत्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में स्वयं को दंड का भागी बना लिया है ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज के साथ) 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख अनिवार्यतः प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध सेवा-समाप्ति की कार्यवाही की जावे ।

आपका लिखित प्रतिवाद यदि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, या प्रतिवाद समाधानकारक नहीं होता है तो आप के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/स्था.03/हड़ताल/SCN/2023/12785

रायपुर, दिनांक : 19/08/2023

प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 2.कलेक्टर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 3.संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 4.विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
- 5.संबंधित प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)